



Neutral Citation No - 2026:AHC:55573

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10094/2026

दिव्या और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

---

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता

: चन्द्र प्रकाश पांडे, जटा शंकर पांडे

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता

: मुख्य स्थाई अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 81**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री योगेश कुमार को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रत्यर्थीगण को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया जाय।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 10.03.2026 को संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी शादी की है। उन्होंने आगे कहा कि यह उनकी पहली शादी है। यह भी कहा जाता है कि उनके खिलाफ इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और उनकी शादी किसी भी पक्ष पर दबाव के बिना उनकी स्वतंत्र सहमति से की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्तागण को प्रत्यर्थीगण द्वारा इस प्रकार शादी करने के कारण धमकी दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 सीआर.एल.जे. 3309 में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के मामले से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित शब्दों में निर्देश जारी किए हैं: -

"यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है तो वह जिसे चाहे उससे शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंधों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्यों को नहीं कर सकते हैं या उकसाते हैं और इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो एक पबालिग महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, जो एक बालिग है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जायेगा और न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जायेगा, और कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा के कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कार्रवाई की जायेगी और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून द्वारा उपबंधित कड़ी कार्रवाई की जायेगी।"

5. भगवान दास बनाम राज्य(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र),(2011) 6 एससीसी 396 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 28 और 29 में निम्नानुसार निर्णय दिया है :-

" 28. .... अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को कंगारू अदालतों के क्रोध से बचने के लिए पुलिस लाइनों या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह मामले में कहा है कि "ऑनर" किलिंग में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, और वे और कुछ नहीं बल्कि सामंती दिमाग वाले कट्टरपंथी लोगों द्वारा बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में ऑनर किलिंग, चाहे किसी भी कारण से, मौत की सजा के लायक दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती है। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को खत्म किया जाए जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए एक निवारक के रूप में यह आवश्यक है। सभी व्यक्ति जो "ऑनर किलिंग" को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

29. इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार को भेजी जाए जो इसे न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को परिचालित करेंगे। उच्च न्यायालयों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



महापंजीयक/रजिस्ट्रार भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को इसकी प्रतियां वितरित करेंगे। फैसले की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे सूचना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एसएसपी/एसपी को प्रसारित करेंगे।”

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्तागण की केवल आशंका है कि निजी प्रत्यर्थी हिंसा का कुछ कार्य कर सकते हैं और याचिकाकर्तागण को परेशान कर सकते हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका को अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित जाता है कि याचिकाकर्ता एक विवाहित जोड़े होने के नाते एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए यदि उसने याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा नहीं डाली है।

8. याचिकाकर्तागण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 10.03.2026 को उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आज से दो महीने के भीतर विवाह पंजीकृत किया जाएगा और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो इसमें दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

9. इस चरण में, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्तागण ने पहले ही अपनी शादी के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया था।

10. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्तागण द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता या याचिकाकर्तागण की



सही उम्र का निर्णय नहीं लिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्तागण को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

11. चूंकि याचिका का निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आदेश तथ्यों को दबाकर या छिपाकर या झूठे बयानों पर प्राप्त किया गया है।

12. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित जांच के रास्ते में नहीं आएगा, यदि कोई हो।

13. रिट याचिका का निस्तारण उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 मार्च, 2026

नितेंद्र